

02.07.18

पत्रावली पेश हुई। उक्त पक्ष उपस्थित। जिन उपखण्ड अधिकारी के विरुद्ध यह स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पेश किया है, उनका स्थानांतरण हो चुका है। दूसरे उपखण्ड अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। अतः प्रकरण के प्रभावहीन हो जाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निष्कर्ष की प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली के संसल सुमार होकर बाद तत्कालीन डाकिल दफ्तार हो।


जिला मजिस्ट्रेट
कोरली